

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2019—पौष 14, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2019

क्र. डी-15-72-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, होशंगाबाद एवं बाबई हेतु क्रमांक डी-15-1-2014-चौदह-3, दिनांक 25 सितम्बर 2014, कृषि उपज मंडी समिति, खुरई एवं मालथौन हेतु क्रमांक डी-15-1-2014-चौदह-3, दिनांक 11 मई 2015, कृषि उपज मंडी समिति, केवलारी एवं पलारी हेतु क्रमांक डी-15-1-2014-चौदह-3, दिनांक 11 मई 2015, कृषि उपज मंडी समिति, मुंगावली एवं चंदेरी हेतु क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3, दिनांक 15 फरवरी 2016, कृषि उपज मंडी समिति, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर हेतु क्रमांक डी-15-20-2016-चौदह-3, दिनांक 6 मई 2016 एवं कृषि उपज मंडी समिति, हरपालपुर एवं नौगांव हेतु क्रमांक डी-15-41-2016-चौदह-3, दिनांक 26 सितम्बर 2016 को भारसाधक मंडी समितियों के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 13(2) परन्तुक के प्रावधान अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों की निर्वाचित समितियों का कार्यकाल दिनांक 6 जनवरी 2019 को समाप्त होने से ऐसी दशा में मंडी अधिनियम की धारा 57 के उपबंध लागू होंगे.

चूंकि, उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं द्वारा गठित भारसाधक समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में भारसाधक समिति में मनोनीत किया गया है एवं निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मंडी अधिनियम की धारा 13(2) परन्तुक, अनुसार 06 जनवरी 2019 को पूर्ण होने से, ऐसी दशा में मंडी अधिनियम धारा 57 के उपबंध लागू होंगे.

अतः, एतद्वारा कृषि उपज मंडी समिति होशंगाबाद, बाबई, खुरई, मालथौन, केवलारी, पलारी, मुंगावली, चंदेरी, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, हरपालपुर तथा नौगांव की उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए उक्त भारसाधक समितियों को "06 जनवरी 2019" से समाप्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2019

क्र. डी-15-72-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

Bhopal, the 4th January 2019

No. D-15-72-2018-XIV-3.—Whereas, State Government in exercise of its powers conferred by sub-section (2) of Section-72 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) has constituted committee-in-Charge for Krishi Upaj Mandi, Samiti Hoshangabad and Babai vide notification Number D-15-1-2014-XIV-3, dated 25 September 2014, for Krishi Upaj Mandi, Samiti Khurai and Malthon vide notification Number D-15-1-2014-XIV-3, dated 11th May 2015, for Krishi Upaj Mandi, Samiti Kevlari and Palari vide notification Number D-15-1-2014-XIV-3, dated 11th May 2015, for Krishi Upaj Mandi, Samiti Mungawali and Chanderi vide notification Number D-15-6-2015-XIV-3, dated 15th February 2016, for Krishi Upaj Mandi, Samiti Niwadi and Prathvipur vide notification Number D-15-20-2016-XIV-3, dated 06th May 2016 and for Krishi Upaj Mandi, Samiti Harpalpur and Noagaon vide notification Number D-15-41-2016-XIV-3, dated 26th September 2016.

Further, as per the provision of proviso of sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, the tenure of elected committees of the Krishi Upaj Mandi Samitis is completing on 6th January 2019 and in such an event the provision of Section 57 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, shall apply.

As, vide above referred notifications, the elected chairman and members were nominated in the committee-in-charge, and their tenure as per the proviso of sub section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam is completing on 6th January 2019. In such an event the provision of Section 57 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam shall apply.

THEREFOR with effect from 6th January 2019, State Government, hereby repeal its above referred notifications and there by terminate the committee-in-charge of Krishi Upaj Mandi Samiti Hoshangabad, Babai, Khurai, Malthon, Kevlari, Palari, Mungawali, Chanderi, Niwadi, Prathvipur, Harpalpur and Naogaon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUKESH KUMAR SHUKLA, Secy.